राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी– श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/92
राजस्व वाद संख्या– 71/2021
दायर दिनांक–26.07.2021
निर्णय दिनांक– 28.08.2025

1. रामलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर नि0 ग्राम पालडी भोपतोतान तह0 रूपनगढ़

––प्रार्थी

वनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री जितेन्द्र शर्मा प्रार्थी अधि0
2 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 89, 91, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह कि ग्राम पालड़ी भोपतोतान में खाता संख्या 1 में ग्राम के अनेक व्यक्तियों द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा, अतिचार, अतिक्रमण कर अवैधानिक कृत्य किया जा रहा है जिसमें अप्रार्थी को अनेक बार शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम की चारागाह भूमियों पर जिन व्यक्तियों का अवैध अतिचार, अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त करवाया जावे परन्तु अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी है। ग्राम में चारागाह भूमि पर ग्राम के ही व्यक्तियों द्वारा काफी अतिचार–अतिक्रमण कर रखा है जिससे ग्राम के मवेशियों को चराने के लिये भूमि ही नहीं बची है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, (सर्तकता) जन अभियोग निराकरण विभाग को पूर्व में भी दिनांक 17.09.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे श्रीमान द्वारा कमांक/आरआर/980/2021/502 दिनांक 12.02.2021 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने वावत् पत्र/आदेश पारित किया गया था परन्तु उक्त आदेश पर किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नही हुई है। उक्त ग्राम पालडी भोपतोतान में लोगो द्वारा भारी अतिक्रमण कर रखा है जिससे ग्राम में काफी आक्रोश है निवासियों को अपने पशुओं को चराने के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है एवं चारागाह भूमि को खुर्द–वुर्द करने पर आमादा है। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.06.2021 को पुनः श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर व सम्भागीय आयुक्त महोदय अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु किसी प्रकार से आज दिन तक विधिक कार्यवाही नहीं होने से माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी राज्य सरकार का अधिनस्थ कर्मचारी व भू–धारी है एवं सरकारी आराजीयात/भूमियों का संरक्षक हेतु जिम्मेदार अधिकारी है जिसका दायित्व है कि ग्राम व ग्राम पंचायत के अनुसार सरकारी व चारागाह भूमियों पर अतिक्रमण किये गये व्यक्तियों व आराजी को चिन्हित करके तुरन्त प्रभाव से उन भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना आवश्यक है परन्तु अप्रार्थी द्वारा अपने दायित्वों का पालन सही प्रकार से नही किया जा रहा है। अप्रार्थी को आदेशित किया जाना आवश्यक है कि ग्राम पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ़ में चारागाह भूमियों एवं सरकारी भूमियों पर किये गये अतिचार, अतिक्रमण को चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त करवाये अर्थात जिन व्यक्तियों द्वारा अतिचार, अतिक्रमण किया गया है उन्हें मौके से वेदखल कर आयन्दा अतिक्रमण नहीं करने हेतु पावन्द किये जाने वावत् डिक्री वहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी फरमाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी ने प्रकरण में जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समस्त कथनो को अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद वर्णित चारागाह भूमि पर अनाधिकृत लोगो द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है इसलिये उक्त अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही किये जाने स्वरूप आदेश पारित करावें। तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपंनी बहस में जवाब के कथनों का दोहरान करते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है।प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार नही है तथा प्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने तथा अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अनुसार विवादित सम्पति का पक्षकार द्वारा दुरूप्योग किये जाने, क्षतिग्रस्त, हस्तान्तरित व व्ययन किये जाने का खतरा होने पर न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। अप्रार्थी पर विवादित आराजी के अतिक्रमी को बेदखल करने की कार्यवाही करने का दायित्व है जिसके सम्बंध में अप्रार्थी द्वारा समय–समय पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध विवादित आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा देय नहीं है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अतिक्रमण हटाने हेतु अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि आधारहीन, सारहीन प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आधारहीन, सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)